

(भारत के राजपत्र के, भाग-11, खंड 3, उप-खंड (11) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवंबर, 2017

अधिसूचना

का. आ. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि मेसर्स इंटरनेशनल क्रोप्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट फार दी सेमी -एरिड ट्रॉपिक्स ('आईसीआरआईएसएटी') (पैन: एएजेआई0282एल) नामक संगठन का नाम केंद्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ **निर्धारण वर्ष 2017-18** और इससे आगे की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन 'वैज्ञानिक अनुसंधान संघ' की श्रेणी में अनुमोदित किया जाता है, नामतः-

(i) अनुमोदित संगठन मेसर्स इंटरनेशनल क्रोप्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट फार दी सेमी -एरिड ट्रॉपिक्स ('आईसीआरआईएसएटी') का संपूर्ण उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना होगा;

(ii) अनुमोदित संगठन स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;

(iii) अनुमोदित संगठन अधिनियम की धारा 35(1)(ii) के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के माध्यम से, इसके द्वारा किए गए क्रियाकलापों और कार्यों की अलग बहियां रखेगा। 'आईसीआरआईएसएटी' वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में अलग लेखा बहियां रखेगा जिनमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, ऐसी खाता बहियों की उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;

(iv) अनुमोदित संगठन 'आईसीआरआईएसएटी' के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-

(क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अलग लेखा बहियां रखने में असफल रहता है; अथवा

(ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में यथा उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(घ) अपने अनुसंधान कार्य कलापों को करना बंद कर देता है अथवा इसके अनुसंधान कार्य कलापों को वास्तविक नहीं पाया जाता है; अथवा

(ड.) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा तथा उनका पालन नहीं करेगा।


(अंकिता पांडे)

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं. 96/2017

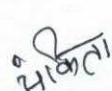
(फा. सं. 203/33/2016-आ.क.नि.-11)

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. आवेदक संगठन मेसर्स इंटरनेशनल क्रोप्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट फार दी सेमी -एरिड ट्रॉपिक्स ('आईसीआरआईएसएटी'), नई दिल्ली।
2. आयकर आयुक्त (छूट), नई दिल्ली।
3. वेब मैनेजर, नई दिल्ली को वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर रखने हेतु।
4. आईटीसीसी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (4 प्रतियां)।
5. संबंधित फाइल।
6. गार्ड फाइल।


(अंकिता पांडे)

अवर सचिव, भारत सरकार